न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 17/2021

GCMS NO. : 2021/39

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थी ::–
1. बाबुलाल पुत्र इन्दाराम जाति–सीरवी, निवासी चावण्डिया कलां, तहसील जैतारण जिला–पाली।		1. गुदड़राम पुत्र पुनाराम जाति–सीरवी निवासी चावण्डिया कलां तहसील जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रा.पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 18/06/2021

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉक: 10/03/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चावण्डिया कलां में सायल और गैरसायल की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि खसरा संख्या 41 रकबा 1.9587 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 45 रकबा 0.8175 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 47 रकबा 2.2075 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 64 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 56/1 रकबा 1.1007 हैक्टेयर की कृषि भूमि आई हुई है। सायल व गैरसायल की वंशावली प्रार्थना–पत्र में अंकित है। खसरा संख्या 41 व 45 की कृषि भूमि में सायल के पिता इन्दाराम व गैरसायल के दादा की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि है। इन्दाराम की मृत्यू के पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान सायल के नाम 1/2 हिस्सा तथा गैरसायल पिता पुनाराम के नाम 1/2 हिस्से के रूप में राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है। इसी हिस्से अनुसार खातेदार का कब्जाकाश्त है तथा बिना किसी रोक–टोक से सायल काश्त व काश्त से संबंधित कार्य करता आ रहा है, इस प्रकार खसरा संख्या 47 में सायल के पिता व गैरसायल के दादा इन्दाराम के नाम 1/6 हिस्सा की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि में दर्ज है। इन्दाराम की मृत्यू के पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि सायल के नाम 1/12 हिस्सा व गैरसाय के पिता पुनाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में 1/12 हिस्सा के रुप में बतौर खातेदार काश्तकार के रुप में दर्ज हुई और इसी हिस्से अनुसार मौके पर सायल एवं गैरसायल काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। इसी प्रकार खसरा संख्या 64 रकबा 2.4281 हेक्टेयर में सायल के पिता इन्दाराम का 1/6 हिस्सा है तथा सायल के पिता की मृत्यु के पश्चात् 1/12 हिस्सा तथा गैरसायल के पिता के नाम 1/12 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में है। गैरसायल के पिता खसरा संख्या 56/1 में सायल 1/2 हिस्सा व गैरसायल 1/2 हिस्सा 5 के पति की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

मृत्यू के पश्चात प्रत्येक का 1/60 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है और गैरसायल इसी हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त कृषि भूमि का कानूनन रुप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही होने से गैरसायल के हिस्से व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि पर सायल के काश्त करने व काश्त से संबंधित कार्य करने में दखलअंदाजी करते है। खसरा संख्या 64 व 47 में पारकी पत्नि श्री इन्दाराम जो कि सायल की माता गैरसायल की दादी है जिसका उपरोक्त कृषि भूमि में 1/12 हिस्सा व इस हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार नाम दर्ज है। पारकी पत्नि श्री इन्दाराम की मृत्यू हो चुकी है लेकिन राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार नाम अंकित है। पारकी देवी के सायल एवं गैर सायल के पिता, दोनों ही पुत्रगण है, जिनका 1/12 हिस्से की कृषि भूमि में पारकी देवी के बतौर उतराधिकारी 1/24–1/24 हिस्सा है, लेकिन यह हिस्सा वर्तमान में पारकी देवी के नाम होने से सायल 1/12 में से 1/24 हिस्से की कृषि भूमि बतौर उतराधिकारी खातेदार काश्तकार होने से अपने नाम घोषणा कराने का उतराधिकारी है, इसलिये सायल को पारकी देवी के 1/12 हिस्सा की कृषि भूमि में से 1/24 हिस्से की कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तथ्यों परिस्थितियो व दस्तावेजात के आधार पर सायल का मामला बहुत ही मजबूत व प्रथमदृष्ट्या बखूबी साबित है अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा संख्या 41, 45 की कृषि भूमि में से सायल को 1/2 हिस्से तथा खसरा संख्या 64 में सायल का 1/12 हिस्सा, खसरा संख्या 47 में 1/12 हिस्सा, खसरा संख्या 56/1 में 1/2 हिस्सा वर्णित कृषि भूमि में सायल द्वारा काश्त करने तथा काश्त से संबंधित कार्य करने पर गैर सायल द्वारा की जाने वाली दखलअंदाजी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने का आदेश फरमाया जावें। उपरोक्त खसरा नम्बरान में स्थित सायल के हक व हिस्से की कृषि भूमि पर गैर सायल उसके परिवार के सदस्यों नौकर, चाकर, एजेंट इत्यादि को दखलअंदाजी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने का आदेश फरमाया जावें उपरोक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर जब तक बंटवारा नहीं होता तब तक गैर सायल को कच्चा–पक्का निर्माण करने, तारबन्दी करने, मेड़बन्दी करने से, जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने का आदेश फरमाया जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायल ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायल ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या–1 गलत होने से अस्वीकार है। मुतनाजा जमीन जो प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपना हिस्सा होना लिखा है जो सरासर गलत व बनावटी है। प्रार्थी का मुतनाजा जमीन पर कभी कब्जा व काश्त नहीं रहा प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज से चला आ रहा है प्रार्थी पिछले 20 वर्षो से दक्षिणी भारत में व्यापार करता हैं। प्रार्थना पत्र का पद संख्या–2 का जबाब है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या एक से पांच की वंशावली पेश की है, जो सही है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर– 41 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा जमीन अप्रार्थी संख्या एक के पिता [illegible] ने दिनांक 19–5–1987 में पारस, धर्मा, कैलाश, गुलाबी जाति–राव निवासी चावण्डिया तहसील जैतारण से खरीद कर पुनाराम ने अपने नाम व अपने छोटा नाबालिग [illegible] रजिस्ट्री करवाई गई और खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नम्बर– 45 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा जमीन अप्रार्थी के पिता ने दिनांक 27–4–1984 को अमरचन्द, बाबूलाल पुत्र रावतराम जाति नाई निवासी चावण्डिया वालों से खरीद कर अपने स्वयं के नाम व अपने नाबालिग भाई बाबूलाल के नाम रजिस्ट्री करवाई गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना में लिखा कि उक्त भूमि मुतनाजा भूमि प्रार्थी के पिता इन्दाराम के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जो सरासर गलत व बनावटी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में लिखा कि मेरे पिता इन्दाराम के फौत होने पर जरिए फौतेदगी नामान्तरकरण के 1/2 हिस्सा प्रार्थी व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या एक से पांच के नाम दर्ज हुई जो सरासर गलत है। प्रार्थी पिछले 25 वर्षो से मद्रास में व्यापार करता है वही पर रहवासी मकान व दुकाने है ग्राम चावण्डिया में कभी नहीं आया केवल मात्र लोगो के सिखावे में आकर अपने बड़े भाई पुनाराम की मृत्यु होने पर पुनाराम के वारिसान के खिलाफ उक्त वाद पेश किया जो चलने काबिल नहीं है। बैचान एग्रीमेन्ट दिनांक 24–1–1984 को केवल मात्र पुनाराम के नाम का ही किया हुआ है जिससे भी साबित है कि प्रार्थी का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है इसी प्रकार खसरा नम्बर– 56 का 1/2 हिस्सा भी अप्रार्थी के पिता पुनाराम ने बजरंग पुत्र पोकर जाति– ब्राहम्ण निवासी चावण्डिया वाला से दिनांक 16–6–1982 में खरीद कर रजिस्ट्री करवाई गई जिसमें भी प्रार्थी का नाम लिखवाया गया अप्रार्थी के पिता पुनाराम ने ही अपनी स्वअर्जित कमाई से उक्त तीनों खसरान 41,45,56 खरीद कर उपजाउ बनाई जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है, केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज होने से बंटवाड़ा का दावा किया जो गलत है। खसरा नम्बर 56 का आपस में सह–खातेदारान के बंटवाड़ा होने से अप्रार्थीगण के 56/1 हिस्से में रहा खसरा नम्बर– 47 व 64 पर भी प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रार्थी आउट आफ पजेशन है। दिनांक 14–6–2021 को मौके पर कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। प्रार्थना पत्र का पद संख्या– 5 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर– 41, 45 में 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 47 मे 1/12 हिस्सा, खसरा नम्बर 64 में 1/12 व खसरा नम्बर– 56/1 में 1/2 हिस्सा अपना होना बताया है जो गलत है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या– 6 गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर– 64 व 47 में पारकीदेवी का नाम गलत दर्ज है पारकी के नाम की जगह अप्रार्थी का नाम दर्ज किया जाना है प्रार्थी अपनी माता पारकी देवी की जीवनकाल में सेवा चाकरी नहीं की क्योकि प्रार्थी पिछले 20 वर्षो से राजस्थान से बाहर रहता है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या– 7 गलत होने से अस्वीकार है। वर्तमान में मौके पर कब्जा काश्त अप्रार्थी का होने से सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में बखुबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी उक्त आराजी से आउट ऑफ पजेशन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वकील मय काउन्टर प्रा.पत्र प्रार्थी/अप्रार्थी ने एक काउन्टर प्रार्थना–पत्र बहक विरुद्ध काउन्टर प्रा.पत्र अप्रार्थी (1. बाबुलाल 2. तहसीलदार, जैतारण 3. उपपंजियन अधिकारी, जैतारण) बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चावण्डिया कलां में काउन्टर प्रा.पत्र कर्ता प्रार्थी के पिता द्वारा खरीद शुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन निम्नानुसार– खसरा नम्बर 41, 45, [illegible] 4, 56/1 आई हुई है। उपरोक्त भूमि के खसरा नम्बर– 41 रकबा 1.9587 हैक्टर [illegible] नम्बर– 45 रकबा 0.8175 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल केवल [illegible] प्रार्थना पत्र कर्ता के पिता, पति

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पुनाराम की खरीद सुदा आई हुई है जिसमें अप्रार्थी संख्या एक बाबुलाल का कोई हक व हिस्सा आया हुआ नहीं है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 47 रकबा 13.12 बीघा भूमि में काउन्टर वाद कर्ता का 1/2 हिस्सा आया हुआ है। काउन्टर वाद कर्ता के साथ 1/2 हिस्से में अप्रार्थी/ प्रार्थी का नाम दर्ज है जो गलत है। 1/2 हिस्सा अन्य सह खातेदारान का आया हुआ है एवं खसरा नम्बर 56/1 भी काउन्टर वाद कर्ता प्रार्थी के पिता, पति पुनाराम द्वारा पारस,कैलाश पुत्र मोतीलाल से खरीद किया हुआ जिसमें अप्रार्थी/प्रार्थी संख्या-1 बाबुलाल का नाम दर्ज है जो गलत है केवल मात्र काउन्टर प्रार्थना पत्र कर्ता के अलावा अन्य किसी का हक व हिस्सा आया हुआ नहीं हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर- 64 रकबा 15 बीघा जमीन में 1/2 हिस्सा काउन्टर प्रार्थना पत्र कर्ता प्रार्थी का आया हुआ बकाया 1/2 हिस्सा सह-खातेदारान का आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या एक बाबूलाल का कोई हक व हिस्सा आया हुआ नहीं है अप्रार्थी संख्या एक बाबूलाल का नाम बतौर गलत इन्द्राज से चला आ रहा है जिसका नाजायज फायदा उठाने की नियत से बाबूलाल ने बंटवाड़ा का दावा/प्रार्थना पत्र पेश किया जो सरासर गलत है। खसरा नम्बर- 41 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा जमीन काउन्टर प्रार्थना पत्र कर्ता प्रार्थी के पिता पुनाराम ने दिनांक 19-5-1987 में पारस, धर्मा, कैलाश, गुलाबी जाति-राव निवासी चावण्डिया तहसील जैतारण से खरीद कर पुनाराम ने अपने स्वयं के नाम व अपने छोटे भाई नाबालिग बाबुलाल जो अप्रार्थी संख्या एक का नाम दर्ज रजिस्ट्री में लिखवा दिया। खसरा नम्बर 45 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा जमीन काउन्टर कर्ता प्रार्थी के पिता पुनाराम ने दिनांक 27-4-1984 को अमरचन्द, बाबूलाल पुत्र रावतराम जाति- नाई निवासी चावण्डिया वालों से खरीद कर अपने स्वयं के नाम व अपने छोटे नाबालिक भाई अप्रार्थी संख्या एक का नाम लिखवा दिया जबकि उस वक्त बाबूलाल 08 वर्ष का था। इसलिए अप्रार्थी संख्या-1 बाबूलाल का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर गलत इन्द्राज से चला आ रहा है जबकि बाबूलाल का उक्त भूमि पर कभी कब्जा व काश्त नहीं रहा, अप्रार्थी संख्या -1 ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा कि उक्त भूमि हमारी पैतृक है। जो सरासर गलत व झूठ है। अप्रार्थी संख्या एक ने अपने प्रार्थना में लिखा कि मेरे पिता इन्दाराम के फौत होने पर जरिए फौतेदगी नामान्तरकरण के माफिक प्रतिवादी संख्या एक/वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में 1/2 हिस्से में आया जो सरासर गलत व बनावटी है। बाबूलाल का भाई पुनाराम के जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या एक बाबूलाल ने जमीन का हिस्सा लेने का वाद क्यो नहीं किया जिसकी जानकारी बाबूलाल को थी कि उक्त जमीन में नाम गलत दर्ज है। काउन्टर वाद कर्ता के पिता की मृत्यु होने पर अब बाबूलाल ने बंटवाड़ा का दावा किया जो सरासर गलत हैं। खसरा नम्बर 47 व 64 में भी प्रतिवादी संख्या एक का कोई हक व हिस्सा नहीं है अप्रार्थी संख्या एक बाबूलाल छोटा होने से जमीन खरीद के समय कमाई नहीं कर रहा था पढाई कर रहा था इसलिए जमीन में हक व हिस्सा नहीं हैं। खसरा नम्बर 41, 45, 47, 64, व 56/1 में अप्रार्थी संख्या एक का नाम दर्ज है जो गलत इन्द्राज होने से नाम हटाया जाकर काउन्टर वाद कर्ता का नाम दर्ज किया जाकर काउन्टर वाद कर्ता को खसरा नम्बर- 41, 45, 56/1 का सम्पूर्ण जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी है तथा खसरा नम्बर- 47 में भी काउन्टर वाद कर्ता को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी है इसी प्रकार खसरा न[illegible] में भी काउन्टर वाद कर्ता का 1/2 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना ज[illegible] अप्रार्थी का नाम उपरोक्त खसरान में से नाम हटाया जाना जरूरी है। [illegible] कब्जा काश्त प्रार्थी का होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
[illegible] जैतारण (पाली)

प्रथम दृष्टिया केस प्रार्थी के पक्ष में बहुत ही मजबूत है यदि अप्रार्थी रोंग एन्ट्री के आधार पर उक्त आराजी का बैचान, रहन, बख्शीश, वसीयत आदि किसी अजनबी व्यक्ति को कर देगा या प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने की कोशिश करेगा तो प्रार्थी अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगा व मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थी का होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखुबी साबित इसलिए अप्रार्थी को उक्त आराजी का रहन, बैचान करने व ऐसा दस्तावेज का पंजियन करने से अप्रार्थी संख्या– तीन को रोका जाना व प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी बाधा उत्पन्न करने से अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मुतनाजा जमीन पर वक्त खरीद से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें अप्रार्थी संख्या एक बाबूलाल स्वंय व उनके परिवार के सदस्य नौकर चाकर, हाली, एजेन्ट आदि कोई वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे एवं काश्त कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं अप्रार्थी संख्या–एक बाबूलाल रोग एन्ट्री के आधार उक्त आराजी का बैचान, रहन, बख्शीश, वसीयत आदि किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को नहीं करे एवं ऐसा दस्तावेज का पंजियन प्रतिवादी संख्या–03 नहीं करे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा रोका जावें।

गैरसायल संख्या 1 (बाबुलाल) की ओर से काउंटर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रा. पत्र पेश किया, जो सा.मि. है। गैरसायल ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि सरहद मौजा चावण्डिया कला में काउण्टरकर्ता के पिता द्वारा खरीदसुदा खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की जमीन खसरा संख्या 41, 45, 47, 64, 56/1 की आयी हुई होने का कथन गलत होने से अस्वीकार है। खसरा संख्या 45, 56, 41 की कृषि भूमि गैरसायल (सायल) बाबुलाल व उसके मृतक भाई पुनाराम की जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदसुदा कृषि भूमि है, जिसमें से 1/2 हिस्से की कृषि भूमि गैरसायल (सायल) बाबुलाल के कब्जेकाश्त व 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पुनाराम की कब्जेकाश्त हिस्से की है, शेष कृषि भूमि गैरसायल (सायल) व उसके स्वर्गीय भाई पुनाराम की पैतृकि पुश्तैनी कृषि भूमि है, शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। काउंटर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 का जवाब है कि इसमें वर्णित तथ्य खसरा संख्या 41 व 45 की कृषि भूमि केवल मात्र काउण्टर प्रार्थनाकर्ता के पिता, पति पुनाराम की खरीदसुदा आई हुई है, जिसमें गैरसायलान संख्या 1 बाबुलाल का कोई हक व हिस्सा आया हुआ नहीं है। गलत होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित तथ्य कि खसरा संख्या 47 रकबा 13.12 बीघा भूमि में काउण्टरकर्ता संख्या 1 से 5 का 1/2 हिस्सा आया हुआ है, व काउण्टरकर्ता के 1/2 हिस्से में गैरसायल (सायल) का नाम दर्ज है जो गलत है। गैरसायल (सायल) द्वारा यह तथ्य अस्वीकार है। खसरा संख्या 47 की कृषि भूमि जो कि गैरसायल (सायल) के पैतृक पुश्तैनी जमीन है, जिसमे गैरसायल (सायल) व काउंटर प्रार्थना पत्रकर्ता के स्वर्गीय पिता पुनाराम पुत्र इन्द्राराम दोनों का 1/12–1/12 हिस्से की कृषि भूमि होने से राजस्व रेकर्ड में गैरसायल (सायल) बतौर खातेदार काश्तकार होने से राजस्व रेकर्ड में गैरसायल (सायल) 1/12 हिस्से के रूप में खातेदार काश्तकार दर्ज है। खसरा संख्या 56/1 में काउंटरकर्ता सायलान के पिता पति पुनाराम द्वारा पारस, कैलाश पुत्र मोतीलाल से खरीद किया हुआ है जो गलत होने से अस्वीकार है। खसरा संख्या 56 रकबा 13 [illegible] बीस्वा की जमीन में से 1/2 हिस्से की कृषि भूमि बजरंग पुत्र पोकरराम जाति राव [illegible] निवासी चावण्डिया से गैरसायल (सायल) व काउंटरकर्ता के पिता पुनाराम [illegible] 6.1982 को जरिये रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

दस्तावेज से खरीद किया था। जिसके आधार पर गैरसायल काउंटर जवाबकर्ता का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज हुआ है। जिसके आधार पर गैरसायल (सायल) व काउंटरकर्ता के स्वर्गीय पिता का बराबर हिस्सा है इसी प्रकार काउंटर प्रार्थना पत्र के इस पद में यह तथ्य अंकित किया है कि खसरा संख्या 64 रकबा 15 बीघा जमीन में 1/2 हिस्सा काउंटरकर्ता सायलान का आया हुआ है व 1/2 हिस्सा सहखातेदारान का आया हुआ होने का कथन गलत होने से अस्वीकार है। खसरा संख्या 64 में गैरसायल (सायल) 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। काउंटर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 का जवाब है कि इसमें वर्णित कृषि भूमि गैरसायल (सायल) के पिता व काउंटरकर्ता के दादा इन्द्राराम के द्वारा जमीन खरीदने के लिए पैसे देने पर दोनों भाईयों के नाम खसरा संख्या 45 की खरीद की गई थी जिसके आधार पर गैरसायल (सायल) का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया हुआ, गैरसायल (सायल) व काउंटरकर्ता के स्वर्गीय पिता के द्वारा खरीद के समय से गैरसायल (सायल) व उनके स्वर्गीय भाई पुनाराम अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे है, शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। इसी पद में वर्णित तथ्य कि सायल ने अपने बंटवाड़े का दावें में लिखा है कि उक्त भूमि हमारी पैतृक है जो सरासर गलत व झूठ है। काउंटरकर्ता काउंटर प्रार्थना पत्र के साथ अपनी खरीदसुदा जमीन की रजिस्ट्रीया पेश कर रहा है जिसका जवाब इस प्रकार है कि खसरा संख्या 45, 41, 56 की कृषि भूमि व गैरसायल (सायल) व उसके स्वर्गीय भाई पुनाराम के द्वारा खरीदसुदा जमीन की रजिस्ट्री पेश की गई है शेष खसरा संख्या 47, 64 की कृषि भूमि के संबंध में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज काउंटर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये है , क्योकि उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल (सायल) व काउंटरकर्ता के स्वर्गीय पिता पूनाराम के पैतृक, पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें गैरसायल (सायल) का 1/12 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज किया गया है शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। काउंटर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 का जवाब है कि इसमें वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है । गैरसायल (सायल) संख्या 1 का व्यापार राजस्थान व राजस्थान से बाहर जरुर है, गैरसायल (सायल) अपने व्यापार के लिये चावण्डिया कला से समय-समय पर व्यापार के लिए जाता है और व्यापार करके वापस अपने गांव चावण्डिया आ जाता है गैरसायल (सायल) के स्थाई रूप से चावण्डिया कला में ही रहता है, व स्थाई रूप से रहने से ग्राम पंचायत चावण्डिया द्वारा राशन कार्ड जारी कर रखा है, इसलिये काउंटरकर्ता द्वारा अंकित तथ्य अपने आप में आधारहीन है इसमें वर्णित तथ्य कि मुतनाजा जमीन स्वयं पुनाराम की अर्जित होने से सायल बाबुलाल का हक हिस्सा अधिकार नहीं है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के अस्तित्व में रहते हुए तथा राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के गैरसायलान संख्या 1 बाबुलाल का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज होने के बाद भी काउंटरकर्ता द्वारा यह तथ्य अंकित करना कि मुतनाजा जमीन में गैरसायल (सायल) का कोई हक व हिस्सा नहीं है इस तथ्य से यह प्रतीत होता है कि काउंटरकर्ता को रजिस्टर्ड दस्तावेज व राजस्व रेकर्ड की अहमियत के दस्तावेज के बारे में कोई जानकारी, ज्ञान व इल्म नहीं है। काउंटर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 का जवाब है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज के अस्तित्व में रहते हुए काउंटरकर्ता को किसी भी रूप में गैरसायल [illegible] के हिस्से की कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता [illegible] किया जाना किसी भी रूप में संभव है। शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। काउंटर [illegible] के पद संख्या 6 का जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

है कि इसमें वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। गैरसायल (सायल) खातेदार काश्तकार के आधार पर हिस्से की कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग करने में नहीं रोका जा सकता। काउन्टरकर्ता को गैरसायल (सायल) की कृषि भूमि पर अतिक्रमण के रुप में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। गैरसायल (सायल) खसरा संख्या 41, 45, 47, 56/1 व 64 का खातेदार काश्तकार है जिसके आधार पर गैरसायल (सायल) का बहुत ही मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है। तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर गैरसायल (सायल) का मामला साबित है। अतः काउन्टर जवाब प्रा.पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि काउंटर प्रार्थनाकर्ता का प्रा.पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं काउन्टर प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

1. प्रथम दृष्टया मामलाः–

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम चावण्डिया कलां के खसरा संख्या 41 रकबा 1.9587 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 45 रकबा 0.8175 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 47 रकबा 2.2075 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 64 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 56/1 रकबा 1.1007 हैक्टेयर की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त शामलाती अविभाजित आराजी है। उक्त विवादित आराजी के कानूनन बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थी की ओर से वाद दायर किया गया एवं अप्रार्थी ने घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् काउन्टर वाद प्रस्तुत किया। प्रार्थी का कथन है कि गैरसायलान/अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में सायल को फसल बोने नहीं दे रहे है एवं काश्त से सम्बन्धित कार्य करने पर दखलन्दाजी करते है। ऐसा करने पर प्रार्थी को अपने साम्पैतिक खातेदारी अधिकारों के उपभोग/उपयोग से महरूम होना पड़ेगा।

दूसरी ओर, अप्रार्थी के जवाब प्रा.पत्र में यह कथन किये है कि अप्रार्थी के पिता पुनाराम ने स्वअर्जित कमाई से उक्त तीनों खसरान 41,45,56 खरीद कर उपजाउ बनाई जिसमें प्रार्थी का कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं है। केवल मात्र प्रार्थी का नाम दर्ज होने से बंटवाडा का दावा किया जो गलत है। खसरा नम्बर 47,64 में भी प्रार्थी आउट ऑफ पजेशन है। अतः प्रार्थी आउट ऑफ पजेशन होने से प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज फरमावें। अप्रार्थी ने अपने काउन्टर प्रा.पत्र में यह कथन किये है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 41,45 ,47,64,56/1 को बेचान, रहन, हस्तान्तरण किसी अजनबी व्यक्ति को न करें।

उभयपक्षकारान द्वारा प्रकट कथनों, तर्कों एवं वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख यथा जमाबंदी संवत् 2074–77 ग्राम चावण्डिया कलां के अवलोकन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि व[illegible]आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त अविभाजित सह–खातेदारी कृषि भूमि है। [illegible] यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह–खातेदारी आराजी में किसी [illegible] अन्य खातेदार के विरूद्ध कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं प्रत्येक सह–खातेदार को सामलाती सह–खातेदारी आराजी के प्रत्येक इंच पर समान हक व अधिकार प्राप्त होते है। यदि वादग्रस्त आराजी के कानूनन बंटवाड़ा या प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम का अंतिम रूप से निस्तारण से पूर्व यदि वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भू–भाग का किसी अन्य को हस्तांतरण हो जाता है तो उससे निश्चित ही प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी। खातेदारान के लिए यह उचित होगा की वाद/काउन्टर वाद के अंतिम निस्तारण से पूर्व वादग्रस्त आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण न करें। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रत्येक सह–खातेदार के हक हिस्से तक साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलनः–

पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सह–खातेदारी की अविभाजित आराजी है तथा ऐसी दशा में प्रत्येक सह–खातेदार को उसके उपयोग एवं उपभोग करने का समान अधिकार निहित होता है। साथ ही वादग्रस्त सयुक्त अविभाजित आराजी में सभी सह–खातेदारान को अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह बिंदू भी प्रत्येक सह–खातेदार के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षतिः–

पूर्व विवेचित दोनो बिंदू सभी सह–खातेदारान के पक्ष में स्थापित हुए है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त अविभाजित आराजी है जिसके प्रत्येक सहखातेदार को अपने हक–हिस्से तक अपने खातेदारी अधिकारों के उपभोग एवं उपयोग का पूर्ण अधिकार होता है। यदि कोई सह–खातेदार अपने हक–हिस्से से अधिक और अन्य सह–खातेदार के हक–हिस्से का जबरन उपभोग/उपयोग करता है या किसी विशिष्ट भू–भाग का हस्तांतरण करता है, तो इससे अन्य सहखातेदार को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना रहती है चाहे वह प्रार्थी हो या अप्रार्थी। अतः यह बिंदू भी सभी सहखातेदारान के पक्ष में उनके हक–हिस्से तक साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिंदू प्रत्येक सह–खातेदार के पक्ष में उनके हक हिस्से तक साबित होता है अतः हस्तगत प्रकरण में हम उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने हेतु जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि., 1955 व आदेश 39 नियम 1,2 व 151 सी.पी.सी. एवं काउन्टर प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, रा.का.अधि., 1955 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान् बाबुलाल पुत्र इन्दाराम एवं गुदड़राम पुत्र पुनाराम को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम चावण्डिया कलां पटवार हल्का चावण्डिया कलां भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे [illegible] एवं गैरसायल की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 41 रकबा 1.9587 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 45 रकबा 0.8175 हैक्टेयर किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बारानी अव्वल, खसरा संख्या 47 रकबा 2.2075 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 64 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 56/1 रकबा 1.1007 हैक्टेयर का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 10/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested